आशा है कि अब घोषित की गयी रियायतों से औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में सहकारी और सरकारी क्षेत्रों में नये चीनी के यूनिट स्थापित करने में मदद मिलेगी। स्थानिक दूरी को 40 किलोमीटर से कम कर 25 किलोमीटर कर देने से भी कुछ ऐसे क्षेत्रों में नये यूनिट स्थापित करने में भी मदद मिलेगी जहां गन्ने की सघन और भूप्रधान खेती की जाती है, और जहां 25 किलोमीटर की अरीय दूरी के अन्दर भी स्थित अतिरिक्त यूनिटों का पोषण करने के लिये भी पर्याप्त गन्ना उपलब्ध होता है।

चीनी संबंधी नीति

579. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुज्ञापन नीति और चीनी नीति में कोई परिवर्तन किये गये हैं तथा यदि हां, तो इनसे चीनी के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ख) देश में चीनी का वास्तव में कितना उत्पादन होता है और इसकी मांग कितनी है और इस वर्ष चीनी की मांग को किस प्रकार पूरा किये जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) सातवीं योजनावधि के लिये चीनी लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करने के पश्चात सरकार ने औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में सहकारी और निजी क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये लाइसेंस देने के प्रयोजन हेतु नये चीनी यूनिटों की आरम्भिक क्षमता को 2500 टी०सी०डी० (मीटरी टनों में दैनिक गन्ना पेराई क्षमता) से कम कर 1750 टी०सी०डी० करने का निर्णय किया है। यह भी निर्णय किया गया है कि कुछेक शर्तों को पूरा करने पर मौजूदा और नये चीनी यूनिटों के बीच 40 किलोमीटर की निर्धारित अरीय दूरी में ढील देकर उसे 25 किलोमीटर कर दिया जाये।

इसके अतिरिक्त, 1988-89 के चालू मौसम के लिये घोषित की गई चीनी नीति में, चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने से सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 18.50 रुपये से बढ़ाकर 19.50 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया गया है। मुक्त बिक्री के कोटे की प्रतिशतता को भी 50 से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

नीति में इन परिवर्तनों से नई चीनी क्षमता स्थापित करने, उद्योग की सक्षमता में सुधार करने, जिसके फलस्वरूप चीनी के उत्पादन में वृद्धि होगी, में मदद मिलने की संभावना है।

(ख) 1988-89 के चालू मौसम के दौरान 7 अप्रैल, 1989 तक 77.44 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले वर्ष की इसी तारीख तक 72.96 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू मौसम के दौरान चीनी का अधिक उत्पादन होने की प्रत्याशा में और मौसम के आरम्भ में आने वाला स्टाक उपलब्ध होने से, देश की आन्तरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिये चीनी का पर्याप्त स्टाक उपलब्ध होगा।

व्हाइट फ्लाई इत्यादि के कारण कपास उत्पादकों को हुई हानि

580. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कपास के उत्पादन के के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक राज्य में इसका कितना-कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) किन-किन राज्यों में व्हाइट फ्लाई तथा अन्य हानिकारक कीड़ों के कारण कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; इसके कारण प्रत्येक

राज्य को कितनी हानि उठानी पड़ी है; इस संबंध में उत्तरी गुजरात की स्थिति क्या है; और

(ग) उन क्षेत्रों में जहां यह फसल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है वहां किस प्रकार की सहायता प्रदान की गयी है और किसानों को जो आर्थिक हानि उठानी पड़ी है, उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार से किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) 1988-89 के राज्यवार लक्ष्य से संबंधित विवरण संलग्न है। कपास उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी राज्यों से देय नहीं हुए हैं।

(ख) कपास के उत्पादन पर मुख्यतया गुजरात, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में व्हाइट फ्लाई और अन्य हानिकारक कृमियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गुजरात राज्य में, 17 प्रतिशत हानि होने का अनुमान है। तथापि, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाद, साबरकंठा और मेहसाना जिलों में गम्भीर प्रकोप देखा गया और 20-25 प्रतिशत तक हानि हुई। इसी प्रकार, कर्नाटक में 8 प्रतिशत हानि हुई। अन्य राज्यों में हानि नगण्य थी।

(ग) जन प्रचार माध्यमों जैसे रेडियों, दूरदर्शन, मुद्रित साहित्य आदि के माध्यम से किसानों को शिक्षित करके इन कृमियों का नियंत्रण करने के लिये उपचारात्मक उपाय किये गये हैं। गहन कपास विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कपास उगाने वाले राज्यों को 1988-89 के दौरान 117.07 लाख रूपये की राशि आवंटित की गयी थी। 1989-90 के दौरान, इन राज्यों को 350 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी है। 1989-90 के दौरान, शामिल किये गये घटकों में प्रमाणीकृत बीजों की सप्लाई क्षेत्रीय प्रदर्शन, फेरोमोन ट्रैप्स, एन०पी०पी० पौध रक्षण उपकरणों और कीटनाशी दवाइयों की सप्लाई आदि हैं।

विवरण

1988-89 के दौरान कपास के राज्यवार लक्ष्य।

(प्रत्येक 170 कि.ग्राम की लाख गाठें)

क्रम सं०	राज्य	लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.73
2.	गुजरात	19.30
3.	हरियाणा	9.69
4.	कर्नाटक	7.12
5.	मध्य प्रदेश	2.94
6.	महाराष्ट्र	18.27
7.	पंजाब	16.72
8.	राजस्थान	7.12
9.	तमिलनाडु	5.23
10.	अन्य	0.68
	अखिल भारत	97.80

Conversion of Lease Hold System

581. SHRIMATI SUDHA VIJAY JOSHI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to refer to the reply to Starred Question 226 given in the Rajya Sabha on the 10th March, 1989 and state:

(a) whether Government have since taken any decision regarding conversion of lease hold system in Delhi;

(b) if not, what are the reasons for delay;

(c) whether Residents Welfare Associations, Housing Societies and other bodies had been agitating for such conversion; and